

**Sanjay Kumar, IAS**  
Secretary, Health  
-cum-  
Executive Director



200  
संजय कुमार, भा०प्र०से०  
सचिव, स्वास्थ्य  
-सह-  
कार्यपालक निदेशक

संचिका संख्या - SHSB/PM/298/11  
पत्रांक... १४१५.....

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना  
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह- सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति

पटना, दिनांक..... 12-12-13.....

विषय : राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के दर अनुबंधित औषधियों के क्रय राशि से testing charge के रूप में कटौती की गयी राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के खाता में विमुक्त करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि Drug Round-VIII से राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा औषधियों एवं चिकित्सीय सामग्रियों के दर अनुबंध के संसूचन के Terms and Condition के कंडिका 08.11 में अंकित है "Samples of drugs of each batch will be taken for test/analysis by the Drug Inspector from company's Godown-cum Store / District Drug Store / Medical College Hospital Store. For this purpose every selected supplier company shall inform in writing the concerned Drug Inspector for taking sample, as soon as the consignment of drugs reaches the company's godown-cum-store situated in Patna. A sum of 2% of total bill amount, exclusive of sales tax, shall be deducted from the bills of the supplies of the medicine towards testing charges of the drugs."

उक्त के आलोक में दर अनुबंधित औषधियों का जिलों के सिविल सर्जन कार्यालयों, जिला स्वास्थ्य समितियों एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में क्रय करने पर आपूर्तिकर्ता के विपत्र के कुल राशि से 2% राशि testing charge के रूप में कटौती करने का प्रावधान/आदेश किया गया है।

कृपया आपूर्तिकर्ता के विपत्रों से दवाओं के जाँच मद में कटौती की गयी 2% राशि पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में सूचनाओं की प्रविष्टि करते हुये उक्त मद की कुल राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 19.12.2013 तक निश्चित रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें। बैंक ड्राफ्ट State Health Society Bihar के नाम से Payble at Patna में भुगतये होगा। इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं व्यादेशकर्ता पदाधिकारी की होगी। बैंक ड्राफ्ट वित्त प्रबंधक, वित्त कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को भेजते हुये उसकी प्रतिलिपि अपर निदेशक, प्रोक्योरमेंट कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजी जाये।

विश्वासभाजन  
12/12/13  
(संजय कुमार)